2022/396

फर्द अहकाम

(नियम- 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

सहायक कलक्टर मुकाम डीडवाना

…रमेश S/O बनाराम बनाम तहसीलदार डीडवाना

136 L.R. Act सं. 149 सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आज यह … के विरुद्ध … 136 L.R. Act … में पेश किया दर्ज हो। … नोटिस जारी हो। मिसल दिनांक 14/7/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर डीडवाना	
14/7/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 8/8/22 को पेश हो।	
8/8/22 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 31/8/22 को पेश हो। प्रतिवादी का जवाब तामील होकर प्राप्त हुआ।	
31/8/22 वकील वादी उप. तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली दिनांक 29/9/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)	
29/9/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 19/10/22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कर्मचारीयों के सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक ...... को पेश हो। 19/07/23	
वकील कर्ता उप० । बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3/8/23 को पेश हो।	
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी वाके सरहद सिंगरावट कला, पटवार हल्का बालिया, भू. अ. नि. क्षेत्र निम्बी कलां तहसील डीडवाना के खेत ख० न० 425 रकबा 0.09 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता, ख. न. 426 रकबा 0.19 है. किस्म बारानी II, ख. न. 483 रकबा 0.13 है. किस्म बारानी II में प्रार्थी के खेत ख. न. 425 रकबा 0.09 है. किस्म गैर- मु. रास्ता की भूमि की किस्म राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ... किस्म बारानी II के बजाय किस्म ... तरमीम किया गया जिसे राजस्व रिकॉर्ड ... नक्शे में शुद्ध किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में शामिल करते हुए किस्म गै. मु. रास्ता	
क्रमशः —	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के स्थान पर बारानी II कर राजस्व रिकॉर्ड में
अमलदरामद की जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन
किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार -
डीडवाना के जवाब एवं रिपोर्ट 2149 दिनांक
16/12/22 का विस्तृत व गहन अध्ययन किया
गया। उक्त संदर्भ में संगत विधि इत्यादि का
अध्ययन किया।

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप -6) विभाग
के पत्रांक - क्रमांक. एफ.9(33) Rev-6/2010
जयपुर, दिनांक 28-4-15 में जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा को दिए मार्गदर्शन के क्रम में - भूमि की
किस्म परिवर्तन करवाने के सम्बंध में ——

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में
विद्यमान प्रावधान के अनुसार भूमि किस्म का निर्धा
भू-प्रबंध संक्रियाओं के दौरान मौके की स्थिति
अनुसार किया जाता है। भू-प्रबंध संक्रिया बंद होने
के पश्चात् किस्म परिवर्तन के अधिकार राजस्व अधि
को प्राप्त नहीं है।

भूमि की किस्म [illegible] के इन्द्राज का
विषय है तथा [illegible] बंद होने के पश्च
किस्म परिवर्तन न्यायिक प्रक्रि[illegible] के माध्यम से ही
भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा
सकती है।

क्रमशः ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 से 84 उक्त विषय के लिए सुसंगत है। उक्त धाराओं में राजस्व मण्डल को रेफरेंस/रिविजन की शक्तियां प्राप्त है।

धारा 84 में भू-प्रबंध संबंधी मामलों के लिए राजस्व मण्डल में ही रिविजन की शक्तियां निहित की गई है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में भू-प्रबंध संक्रिया के पश्चात् किस्म परिवर्तन का विषय या तो जिला कलक्टर के माध्यम से धारा 82 के तहत् रेफरेंस के द्वारा अथवा धारा 84 में राजस्व मण्डल की रिविजन की शक्तियों के तहत् ही निस्तारित किया जा सकता/करवाया जा सकता है।

अतः उक्तानुसार, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (प्रार्थी-गणेश पुत्र बन्नाराम जरिए वकील पूर्ण सिंह बोहरा) अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पैमाईश/भू-प्रबंध संक्रिया के दौरान निर्धारित भूमि किस्म परिवर्तन (जो कि तहसीलदार डीडवाना रिपोर्ट क्रमांक/रीडर/2022/2149 दिनांक 16/12/22 से एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से भी सिद्ध होता है) से संबंधित होने के [illegible] विचारणीय न होने से खारिज [illegible] शुमार हो नम्बर से कम होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03/08/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner